कार्यालय नगर पालिका परिषद्, जावरा जिला रतलाम (म.प्र.)

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

क्रमांक 3793 / DAY-NULM / 17 जावरा, दिनांक 22/09/2017

/ / संशोधित प्रस्ताव आमंत्रण सूचना / /

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. / DAY NULM / शा 9 / 2017–18 / 9700 भोपाल दिनांक 08.05.17 में दिये गये निर्देशानुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए एन.एस.डी.सी. पार्टनरशिप / शासकीय संस्था / भारत सरकार से अनुबंधित पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

अतः सभी इच्छुक संस्थाएं जो NSQF कम्लाईड कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चालु वर्ष में मान्यता रखते हो एवं किसी भी अन्य राज्य निकाय विभाग से ब्लैक लिस्टेड न हो। वह संस्थाए योजना की RFP एवं TOR अनुसार RPF आवेदन का मूल्य 2000 / – रू. डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं 50000 / – रू. की EMD 7बैंक ड्राफ्ट अलग अलग लिफाफे में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से बनाकर दिनांक 27.09.2017 को सांय 4.00 बजे तक अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यालय नगर पालिका परिषद जावरा को प्रस्तुत कर सकते है।

नोट :– RFP एवं TOR एवं इससे संबंधित अन्य शर्ते, प्रशिक्षण कोर्स कार्य से संबंधित विस्तृत विवरण रिक्त प्रपत्र इत्यादि जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिका जावरा से एवं निकाय की वेबसाईट www.npjaora.in से प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन केवल वेबसाईट पर ही किया जावेगा। इसके लिए अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा
जावरा, दिनांक 22/09/2017

पृ.क्रमांक 3794 / DAY-NULM / 2017
प्रतिलिपी :–

1. मिशन डायरेक्टर, DAY NULM नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सिटी मेनेजर, DAY NULM जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ।
3. परियोजना अधिकारी, जिशविअ जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / योजना समिति चेयरमेन न.पा. जावरा की ओर सूचनार्थ।
5. नगर पालिका नोटस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. संवाददाता श्री .... दैनिक समाचार पत्र की ओर उक्त सूचना न्यूनतम दर एवं न्यूनतम स्पेस में आगामी दिवस में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन के दिन ही समाचार पत्र की दो प्रतियॉ स्वास्थ्य शाखा में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

//कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव आमंत्रण की शर्तें//

1. कौशल प्रशिक्षण में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
2. विगत 3 वर्षो से किये गये प्रशिक्षणों के प्लेसमेंट (कम से कम 50 प्रतिशत) की जानकारी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो की जानकारी होना चाहिये।
3. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का NSDC पार्टनरशिप/शासकीय संस्था/भारत सरकार से अनुबंधित संस्थाएं होना आवश्यक है एवं पार्टनरशिप का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का प्रशिक्षण नगरीय क्षेत्र सीमा जावरा में हो तथा प्रशिक्षण केन्द्र कोर्स अनुसार प्रशिक्षकों की उपलब्धता एवं योग्यता NSQF कोर्स अनुसार उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र की फोटो आदि की जानकारी संलग्न करना आवश्यक है।
5. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था किसी भी विभाग से ब्लेक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र संस्था प्रमुख से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करे।
6. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह पूर्व अर्थात 31 जनवरी तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण का निष्पादन प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा स्वंय किया जावेगा। संस्था द्वारा प्रशिक्षण की सबलेटिंग मान्य नहीं है यदि ऐसा पाया जाता है तो संस्था से अनुबंध समाप्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जोवगीं।
8. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा नवीन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण जिसमें प्रेक्टिकल एंव ऑन जॉब शामिल है न्यूनतम 200 घंटे (पाठ्यक्रम में उल्लेखित घंटों के आधार पर) दिया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को प्रशिक्षण बैच प्रारंभ करने के पूर्व संभावित प्रशिक्षणार्थियों का काउंसलिंग शिविर करना होगा। जिसमें प्रतिभागियों को उपलब्ध कोर्स, प्रशिक्षण हेतु योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, प्लेसमेंट स्थल, संभावित मानदेय आदि की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
10. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत नियमित रूप से रिपोर्टिंग राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यालय को करना होगी।
11. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा न्यूनतम 70 प्रतिशत प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण के 3 माह के अंदर रोजगार/स्वरोजगार से अनिवार्यतः जोड़ना हैं। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को वेतनमान आधारित रोजगार में नियोजित करना अनिवार्य है।
12. प्रस्ताव आमंत्रण में भाग लेने वाली सभी प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त किसी भी शर्त का पालन नहीं करने की स्थिति में प्रस्ताव को निरस्त किया जावेगा।
13. संस्था के पास पिछले 3 वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए।
14. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को प्लोसमेंट हेतु संस्था एवं नियोक्ता कंपनियों का अनुबंध पत्र/सहमति पत्र (Placement Tie ups) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
15. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को संबंधित सेक्टर में NSDC से सम्बद्धता/कोर्स एफिलेशन होना चाहिए। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
16. आवेदित संस्था द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा कि सेन्टर में नियुक्त सेन्टर प्रबंधक स्थाई तौर पर कार्य करेगा।
17. आवेदित संस्था द्वारा कौन–कौन से सेक्टर/कोर्स के लिये आवेदन कर रही है इसका आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
18. आवेदित संस्था को अनुबंध करते समय कुल राशि का 5 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
19. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था ने यदि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत विगत 3 वर्षो में प्रशिक्षण प्रदान किया है तो कुल प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, नियोजन की जानकारी के सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. संस्था चयन में किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति पर अंतिम निर्णय मुख्य नगर पालिका अधिकारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर पालिका परिषद जावरा का सर्वमान्य होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

कोर्स विवरण :– NCVT/MES से संबंद्ध कोर्स

क्र.	सेक्टर	कोर्स	कोर्स कोड	NSQF लेवल	कोर्स अवधि (घंटे में)
1	इलैक्ट्रिकल	इलैक्ट्रीशियन डोमेसटिक	ELE701	2	600
2	प्लंबिंग	प्लम्बर जनरल	PSC/Q0104	3	320
3	गारमेन्ट मेंकिग	टेलर बेसिक स्वींग ऑपरेटर	GAR 516	2	270
4	ब्यूटी कल्चर एण्ड हेयर डिजाईनर	बेसिक ऑफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग	BEA703	2	650
5	ऑटोमोटिव रिपेयर	बेसिक ऑटोमोटिव सर्विसिंग ऑफ टु व्हीलर और थ्री व्हील वाहन	AUR701	2	500

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा